

प्रस्तावित वन भूमि हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) का विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी.आई.यू.) गोरखपुर द्वारा सोनौली-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 29ई के किमी 0.00 से किमी 81.204 तक के 4 लेन चौड़ाकरण में प्रयुक्त हो रहे 8.3137 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0609 अवर्गीकृत वन भूमि सहित कुल 8.3746 हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है जिसमें बाधक 849 वृक्ष बाधक है। उक्त भूमि डेंस फारेस्ट Eco-Class-1 के अन्तर्गत आता है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 5-3/2011 FC(Vol-I) दिनांक- 06.01.2022 एवं पत्रांक 5-3/2011- FC(Vol-I) दिनांक- 19.01.2022 द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु एन०पी०वी० की दर रु० 14.36670 लाख प्रति हे० निर्धारित की गयी है। प्रस्तावित आरक्षित/अवर्गीकृत वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य $8.3746 \times 1436670.00 = 12031537.00$ होगा।


Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur


(विकास यादव)
Divisional Officer
Gorakhpur Forest Division
गोरखपुर